भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1089

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

विकसित भारत-2047 के लिए भारतीय बुनियादी ढांचे संबंधी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

1089. श्रीमती डी.के. अरुणा:
श्री इटेला राजेंदर:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय बुनियादी ढांचे संबंधी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने सुझाव दिया है कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे संबंधी पहलों के वित्तपोषण में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी भागीदारी बढ़ाएं, जो 2047 तक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) का दर्जा प्राप्त करने की देश की महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय बुनियादी ढांचे संबंधी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन सरकार के तत्वावधान में आयोजित नहीं किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा अवसंरचना निर्माण के लिए दिए गए ऋणों की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

राज्य	दिनांक 31.03.2024 तक बकाया
बिहार	4,113.00
उत्तर प्रदेश	38,071.00
तेलंगाना	47,409.00
आंध्र प्रदेश	15,306.00

******